पत्र संख्या–सी0/ई0एच0–59/2016......................../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

महाधिवक्ता, बिहार,
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना दिनांक..................

विषयः– **श्री अब्बास हैदर, स्थायी समुपदेशक संख्या–06 के सहायतार्थ सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक **श्री अब्बास हैदर, स्थायी समुपदेशक संख्या–06** के पत्र, दिनांक–25.07.2017 से प्राप्त अनुशंसा के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत **श्री अब्बास हैदर, स्थायी समुपदेशक संख्या–06** के सहायतार्थ श्री अविनाश शेखर, (बी0आर0/1896/2013, ए0ओ0आर0–07224) को सहायक अधिवक्ता के रूप में विधि विभागीय अधिसूचना सं0–4421/जे0, दिनांक–20.07.2016 की कंडिका–8 एवं 9 के आलोक में अनुशंसा पत्र की तिथि–25.07.2017 के प्रभाव से नियुक्त करने की कृपा की है।

2. सहायक अधिवक्ता के रूप में इनकी सेवा इनके वरीय अधिवक्ता के सह-विस्तारी (C0-terminus) अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक सीमित रहेगी।

3. सहायक अधिवक्ता को वही शुल्कादि देय होगा जो विधि विभागीय पत्रांक–484/जे0, दिनांक–01.10.2012 द्वारा पूर्व से निर्धारित है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...............7174../जे0, पटना, दिनांक.....20/11/17..,

प्रतिलिपिः– **श्री अब्बास हैदर, स्थायी समुपदेशक संख्या–06**, महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सी0–2, विधि विभाग, बिहार, पटना एवं **विभागीय आई0टी0 प्रबंधक** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

E:\priyanka kumari\Jitendra kumar\Surendra Prasad Sharma Sir\Surendra SIR\CEH.doc